"old"

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "ASHA Support System at District Level"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.12 -B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.12 - B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - TA/DA etc. and Establishment of ASHA Help Desk.

इकाई राशि (रू० लाख में) - 4000/- per month per DHS

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

1.12- ASHA Support System at District Level

जिला स्तरीय आशा हेल्प डेस्क-

परिभाषा- आशा कार्यकर्त्ताओं के समस्याओ के समाधान हेतु जिला स्तर पर एक डेस्क/केन्द्र को चिन्हित किया जाना है।

आवश्यकता- प्रायः ऐसा पाया गया है कि आशा कार्यकर्त्ताएँ जब अस्पताल आती है या क्षेत्र में कार्य कर रही होती है तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान, सलाह एवं दिशा-निर्देश देने हेतु जिला स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं हैं अतः एक हेल्प डेस्क बनाने की आवश्यकता है।

संपादन- आशा हेल्प डेस्क के प्रभारी जिला स्तर के जिला परियोजना प्रबंधक, आशा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक होगें। इनके द्वारा ही समस्यो का समाधान एवं दिशा-निर्देश तथा पंजी का संधारण किया जायेगा।

क्रियान्वयन- यह डेस्क जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में कार्यालय अवधि में कार्यरत रहेगा। कार्यरत आशा हेल्प डेस्क के अपने दुरभाष होगें जो उस जिले हेतु आशा हेल्प लाईन के नाम से जाने जायेगें एवं आशा द्वारा की गई अनुरोध/समस्या एवं उसके सामाधान की पूर्ण विवरणी तिथि एवं समय के साथ एक रजिस्टर बना कर संधारित की जायेगी। **इन दोनों कार्यो हेतु प्रति माह १०००/- रू० की राशि जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा खर्च की जायेगी।**

आशा कार्यक्रम इकाई के विविध खर्च हेतु प्रति माह ३०००/- रू० की दर से जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा खर्च की जायेगी । इस ३०००/- रू० का विवरणी निम्नानुसार है-

प्रखंडो एवं गाँवों में भ्रमण हेतु यात्रा भत्ता एवं अन्य विविध खर्च नियमानुकूल किये जायेगें। इस राशि का खर्च जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला परियोजना प्रबंधक, आशा द्वारा किया जायेगा।

रजिस्टर का प्रारूप -

क्र० सं०	तिथि/ समय	आशा का नाम	गाँव का नाम	प्रखंड/प्रा०स्वा० केन्द्र का नाम	क्या समस्या थी	क्या सामाधान सुझाया गाया	फॉलोअप	केस समाप्त करने की तिथि

मूल्याकनः-

मूल्याकन दो बिन्दुओं पर क्या जायेगा।

1. पंजीकृत समस्यों की संख्या
2. सामाधान की गई समस्यों की संख्या

(प्रतिदिन कम से कम १० केस का पंजीकरण होना आवश्यक है और इसमें से महीने के अंत में 80% केस का सामाधान किया जाना आवश्यक है। इस गतिविधि का मूल्याकन का आधार यही होगा।)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "ASHA Support System at Block Level"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.13 –B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.13 – B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - Appointment of Block Level Organizer /Block ASHA Manager, Establishment of ASHA Help Desk.

इकाई राशि (रू० लाख में) - 12500/- रू० प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिमाह।

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

95

1.13- ASHA Support System at Block Level

१. प्रखंड स्तर आशा पदाधिकारी (Block Level Organizer/प्रखंड आशा प्रबंधक) - राज्य के सभी ५३३ प्रखंडों के Block Level Organizer/प्रखंड आशा प्रबंधक को मानदेय हेतु प्रति माह १२०००/- रू० की दर से प्रखंड की रोगी कल्याण समितियाँ द्वारा खर्च की जायेगी। कार्यरत आशा हेल्प डेस्क के विविध खर्च हेतु प्रति माह ५००/- रू० की राशि संबंधित प्रखंडों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगीकल्याण समितियों द्वारा खर्च की जायेगी।

आश हेल्प डेस्क-

परिभाषा- आशा कार्यकर्त्ताओं के समस्या एवं समाधान हेतु प्रखंड स्तर पर एक डेस्क/केन्द्र को चिन्हित किया जाना है।

आवश्यकता- प्रायः ऐसा पाया गया है कि आशा कार्यकर्त्ताएँ जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अस्पताल आती है या क्षेत्र में कार्य कर रही होती है तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान, सलाह एवं दिशा-निर्देश देने हेतु प्रखंड स्तर पर भी एक डेस्क बनाने की आवश्यकता है।

संपादन- आशा हेल्प डेस्क के प्रभारी प्रखंड स्तर के प्रखंड आशा प्रबंधक, आशा/स्वास्थ्व प्रबंधक होगें। इनके द्वारा ही समस्यों का समाधान एवं दिशा-निर्देश तथा पंजी का संधारण किया जायेगा।

क्रियान्वयन- यह डेस्क रोगी कल्याण समिति/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय में कार्यालय अवधि में कार्यरत रहेगा। कार्यरत आशा हेल्प डेस्क के अपने दुरभाष (WLL) होगें एवं आशा द्वारा की गई अनुरोध/समस्या एवं उसके सामाधान की पूर्ण विवरणी तिथि एवं समय के साथ एक रजिस्टर बना कर संधारित की जायेगी। इन दोनों कार्यो हेतु प्रति माह ५००/- रू० की राशि रोगी कल्याण समितियों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा खर्च की जायेगी।

रजिस्टर का प्रारूप -

क्र० सं०	तिथि/ समय	आशा का नाम	गाँव का नाम	क्या समस्या थी	क्या सामाधान सुझाया गाया	फॉलोअप	केस समाप्त करने की तिथि

मूल्याकनः-

मूल्याकन दो बिन्दुओं पर क्या जायेगा।

3. पंजीकृत समस्यों की संख्या
4. सामाधान की गई समस्यों की संख्या

(प्रतिदिन कम से कम १० केस का पंजीकरण होना आवश्यक है और इसमें से महीने के अंत में 80% केस का सामाधान किया जाना आवश्यक है। इस गतिविधि का मूल्याकन का आधार यही होगा।)

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "ASHA Support System at Village Level"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.14 – B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.14 – B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - Community Monitoring and Community Need Assessment by ASHAs and others.

इकाई राशि (रू० लाख में) - 45 (Rs.150/- x 2500 group x12 months)
No. of Groups = 87135 ASHA/35 members = 2500 groups.

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

1.14- ASHA Support System at Village Level

१. Community Monitoring and Need Assessment -

परिभाषा- प्रत्येक प्रखंड स्तर पर आशाओं एवं अन्य के द्वारा उनके क्षेत्र के समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं के मूल्याकण एवं जरूरतों की समीक्षा की जानी है।

आवश्यकता- प्रखंड स्तर के क्षेत्र में अवस्थित गाँवों की स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्याकन एवं जरूरतों की समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह समीक्षा उस क्षेत्र के आशा एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के द्वारा ही किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रखंड में उपलब्ध आशा संख्या द्वारा निम्न रूप से ३५-३५ सदस्यों के समूह द्वारा मूल्याकन एवं समीक्षा की जायेगी। जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है-

<u>प्रखंड का एक समूह- ३५ सदस्य</u>
आशा- २०
आशा प्रखंड फेसिलीटेटर- १
पंचायती राज प्रतिनिधि- २ (मुखिया/वार्ड महिला सदस्य/उप मुखिया)
स्वयं सहायता समूह - ४ (कोई चार सदस्य)
स्थानीय कार्यरत एन०जी०ओ० प्रतिनिधि- ३
संबंधित क्षेत्र के लाभार्थी - ५

इस प्रकार राज्य ८७१३५ आशा के बीच २५०० समूह बनेगें। इन समूह द्वारा प्रति माह एक बैठक आयोजित होगी।

प्रखंड आशा फेसिलीटेटर का निर्धारण- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सभी पंचायतो में से एक आशा का चयन किया जायेगा जिनकी शैक्षणिक योग्यता सर्वाधिक होगी। यदि एक प्रकार के शैक्षणिक योग्यता की आशा एक पंचायत में नहीं मिलती है तो उस पंचायत की आशा मिलकर जिनका नाम प्रस्तावित करेगी वही उस पंचायत की ओर से आशा प्रतिनिधि चयनित की जायेगी। यदि इस प्रक्रिया के माध्यम से भी आशा का चुनाव नहीं होता है तो प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक आशा दिवस के दिन उस पंचायत के सभी आशा की बैठक आयोजित करेगें जहाँ किसी का चयन नहीं हुआ है और उनसे कहेगें कि जिनका नाम के चयन का प्रस्ताव रखना चाहती है उनका नाम लिख कर एक पचे में दे-दे ध्यान रखना होगा कि कोई आशा उस पचे में अपना नाम नहीं लिखे। इस प्रकार जिसका नाम सर्वाधिक आशा ने दिया है उसे नामित किया जाय। यदि किसी दो आशा का नाम बराबर आ जाता है तो उन्हीं दोनो के लिए उपर्युक्त प्रकिया आपना कर पंचायत के आशा के प्रतिनिधि का चुनाव करना है।

तत्पश्चात उपर्युक्त प्रकिया के तहत ही प्रखंड स्तरीय आशा फेसिलिटेटर का चयन किया जायेगा। सभी प्रक्रिया के सपन्न करने के जवाबदेही प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की होगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति चिन्हित/निर्धारण पदाधिकारी होगें।

संपादन- इस बैठक का संयोजक प्रखंड आशा फेसिलीटेटर होगी। जो बैठक की तिथि मुख्यतः माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित कर बैठक का सफलता पूर्वक आयोजन करायेगी।

क्रियान्वयन- इस बैठक का स्थान प्रखंड आशा फेसिलीटेटर के क्षेत्र का पंचायत भवन होगा। प्रति माह आयोजित होने वाले इस बैठक में एक पंजी संधारित होगी जिसमें समुह के ३५ सदस्य के विचार विर्मश, समुदाय मुल्याकण एवं जरूरत समीक्षा के उपरान्त निकले निष्कर्ष एवं आवश्यकताओं कार्रवाई पंजी में संधारित होगी। इस बैठक के संयोजक आशा प्रखंड फेसिलीटेटर होगी तथा प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रति बैठक में पंजी खर्च सहित खर्च हेतु १५०/-रू० बैठक के संयोजक प्रखंड आशा फेसिलीटेटर को माह के पहली तारीख को देय होगी। तैयार की गई कारवाई सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रखंड आशा फेसिलीटेटर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ताकि इनक माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में हुई प्रगति एवं विषय-वस्तुओं का निराकरण/विवेचना त्वरित रूप समुदायिक सहभागिता द्वारा किया जा सकें।

मूल्याकनः-

इस बैठक के माध्यम से आशा फेसिलिटेटर यह सुनिश्चित करेगीं कि बैठक में कितने बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया है तथा इसे कौन करेगा और कब करेगा। इसके लिए निम्नवत् प्रपत्र में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को किये गये कार्यो से सूचना देगी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक इसे संकलित कर जिला स्तर पर प्रेषित करेगी। यह प्रपत्र भी आशा डेस्क की सूचनाओं का एक भाग होगा।

आशा फेसिलिटेटर के बैठक का प्रपत्र

प्रखंड का नाम :

बैठक की तिथि :

उपस्थित सदस्यों की सूची (संलग्न) :

समस्या

- .
- .
- .
- .

स्थानीय स्तर पर सामाधान

- .
- .
- .
- .

प्रखंड के स्तर पर सामाधान

- .
- .
- .
- .

जिला के स्तर पर सामाधान

- .
- .
- .
- .

आशा फेसिलेटेटर का हस्ताक्षर

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – "ASHA Drug Kit & Replenishment"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) – 1.16–B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) – 1.16–B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५–१० वाक्य अधिकतम) – Provisioning of ASHA Drug Kit to 12822 new ASHAs and replenishment to 74313 ASHAs.

इकाई राशि (रू० लाख मे) – अधिकतम 600/- रू० प्रति किट (१२८२२ आशा हेतु)
अधिकतम 200/- रू० प्रति प्रतिपूर्ति किट सामग्री (७४३१३ आशा हेतु)

वित्तीय दिशा निर्देशन –
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें) SHSB/SPO-B&L/06/07/4996 (दि०–14.01.08), SHSB/PM/139/07/5267 (दि०–14.02.08)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं
नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – 9470003017, 9470003024

1.16- ASHA Drug Kit and Replenishment

परिभाषा- राज्य के आशा कार्यकर्त्ताओं को ASHA Drug Kit उपलब्ध कराया जाना।

अवश्यकता- आशा कार्यकर्त्ता गाँव में स्वास्थ्य सलाह के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा में ASHA Drug Kit दवाओं का सहयोग ले सकती है। जिससे गाँव के जनों का प्रथम द्रष्टया स्वरूप समुचित चिकित्सा सेवा किया जा सकें। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार निम्नलिखित सामग्रियाँ रखी जानी हैं -

क्र०सं०	दवा का नाम	एक आशा किट में दवा की मात्रा*
1	Disposable Delivery Kit	20
2	Tab. Iron Folic Acid (Large)	1000
3	Tab. Punarvadu Mandur (ISM, Preparation of Iron)	1000
4	ORS Packets	100
5	Tab. Paracetamole	100
6	Tab. Dicycomine	50
7	Povidine Ointment Tube	2
8	Thermometer	2
9	Cotton Absorbent Roll	1
10	Bandages, 4cm x 4 meters	10

* भारत सरकार के मार्ग दर्शिका के अनुसार

ASHA Drug Kit सम्मलित सामग्री की इकाई राशि एवं क्रय की प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक- SHSB/SPO-B&L/06/07/4996 दिनांक- १४.०१.०८ (संलग्न) से जिलो को प्रेषित किया जा चुका है। जिसका क्रियान्वयन किया जाना है।

संपादन - आशा ड्रग किट की सभी सामग्रियों को क्रय एवं उपलब्धता सिविल सर्जन सुनिश्चित करेगें तथा उपलब्ध राशि का खर्च भी सिविल सर्जन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संपादित किया जायेगा।

क्रियान्वयन - नये चयन होने वाले लगभग १२८२२ आशा कार्यकर्त्ता हेतु प्रति किट अधिकतम ६००/- रू० के दर से क्रय हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा राशि खर्च की जायेगी तथा कुल उपलब्ध कराये जा चुके Drug Kit (७४३१३ आशा कार्यकर्त्ताओं को) से खर्च हुये कुछ सामानों/दवाओं के आशा द्वारा प्रति तीन माह पर की गई Indent अनुसार दवाओं की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति आशा २००/- रू० की दर से आशाओं की संख्या अनुरूप जिलों द्वारा **आवश्यकता अनुसार दवा क्रय करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राशि खर्च की जायेगी। तीन माह से पूर्व भी सामग्री खर्च होने के बाद सामग्री की मांग आशा द्वारा की जा सकती है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ASHA Drug Kit में हुये खर्च को प्रतिमाह FMR में Procurement of ASHA Drug Kit Head में प्रविष्टि करेगें। आशाओं द्वारा दवा खर्च करने की विवरणी आशा अपने आशा डायरी में भी संधारित करेगी।**

कुछ शेष दवाओं का दर का निर्धारण प्रक्रिया में है। अतः दवा की इकाई राशि स्पष्ट होने के तुरन्त बाद जिला को सूचित कर दिया जायेगा। इस किट का उपयोग से क्षेत्र में होने वाले आम जनो के स्वास्थ्य समस्याओं का सामाधन किया जा सकेगा।

Revised ASHA Selection Target

SL No	Name of District	Old Target ASHA	Revised Target ASHA	New ASHA to be Selected
1	Araria	2026	2376	350
2	Arwal	659	773	114
3	Aurangabad	1842	2160	318
4	Banka	1552	1820	268
5	Begusarai	2242	2629	387
6	Bhagalpur	1971	2311	340
7	Bhojpur	1931	2264	333
8	Buxar	1273	1493	220
9	Darbhanga	3689	4326	637
10	Gaya	2734	3206	472
11	Gopalganj	3028	3550	522
12	Jamui	2997	3514	517
13	Jehanabad	2022	2371	349
14	Kaimur	1296	1520	224
15	Katihar	743	871	128
16	Khagaria	1247	1462	215
17	Kishanganj	2174	2549	375
18	Lakhisarai	1204	1412	208
19	Madhepura	1167	1368	201
20	Madhubani	684	802	118
21	Munger	1459	1711	252
22	Muzaffarpur	3451	4046	595
23	Nalanda	820	961	141
24	Nawada	3398	3984	586
25	West Champaran	2017	2365	348
26	Patna	1671	1959	288
27	East Champaran	2757	3233	476
28	Purnia	2322	2723	401
29	Rohtas	2124	2490	366
30	Saharsa	1383	1622	239
31	Samastipur	3271	3835	564
32	Saran	2950	3459	509
33	Sheikhpura	444	521	77
34	Sheohar	495	580	85
35	Sitamarhi	2529	2965	436
36	Siwan	2565	3008	443
37	Supaul	1644	1928	284
38	Vaishali	2532	2969	437
	Total	**74313**	**87135**	**12822**

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – "Emergency Services of ASHA"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) – 1.17–B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) – 1.17–B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५–१० वाक्य अधिकतम) – Deputation/engagement of ASHA in natural calamities/Flood prone districts and capacity building/Training for the same.

इकाई राशि (रू० लाख में) – 100/- प्रति आशा x 3000 आशा x 20 दिन प्रतिनियुक्ति हेतु
100/- प्रति आशा x 3000 आशा x 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु

वित्तीय दिशा निर्देशन –
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – 9470003017, 9470003024

/12

1.17- Emergency Services of ASHA

परिभाषा- राज्य के उत्तरी क्षेत्र के जिलों में बाढ़ से होने वाले हानि तथा फैलने वाले बीमारियों एवं उसके बचाव अर्थात् स्वास्थ्य प्रबंधन में आशाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आशाओं का प्रशिक्षण एवं प्रतिनियुक्ति किया जाना है।

आवश्यकता- राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में आम जनों के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आशा की विशेष एवं सक्रिय सहभागिता महत्वपूर्ण है।

संपादन- प्रशिक्षण मॉड्यूल की रूप रेखा राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी एवं संबंधित जिले के सिविल सर्जन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित करायेगें तथा आशाओं की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति करेगें।

क्रियान्वयन- राज्य के निम्नलिखित जिले जो कि बिहार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते है-

सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, पटना, वैशाली, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, शेखपुरा, सारण, भागलपुर, बेगूसराय की चुने हुये ३००० आशाओं को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण का मॉड्यूल प्रारूप राज्य स्तर पर बनाया जायेगा। आवश्यकता अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रशिक्षण हेतु आशाओं के चयन में प्राथमिकता/फेर-बदल किया जा सकता है। उपरोक्त प्रत्येक जिलो के १८७ आशाओं (३०००/१६) को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु आशाओं का चिन्हितिकरण सिविल सर्जन द्वारा किया जायेगा। जिस जिले में बाढ़ आयेगा उस जिले के प्रशिक्षित आशाओं को अधिकतम २० दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया जायेगा तथा प्रतिदिन एक आशा को १००/- रू० की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह राशि प्रशिक्षण में बताये गये कार्यो एवं दायित्वों के सफल निर्वहन उपरान्त देय होगा। दो दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आशा को प्रतिदिन १००/- रू० देय होगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "Motivation of ASHA"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.18-B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.18-B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - Provision of two Saree and one umbrella to ASHAs.

इकाई राशि (रू० लाख में) - अधिकतम 600/- रू० प्रति दो साड़ी x 87135 आशा
अधिकतम 125/- रू० प्रति छाता x 87135 आशा

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

1.18- Motivation of ASHA

परिभाषा- राज्य की प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ताओं के प्रोत्साहन हेतु आशा को दो-दो साड़ी एवं एक-एक छाता उपलब्ध कराया जाना है।

आवश्यकता- आशा सुदूर गाँवों में कठिन परिस्थितियों एवं मौसम में स्वास्थ्य संबंधित समाज का दायित्व निभाति है। आशाओं के सफल दायित्व निर्वहन हेतु उन्हें दो साड़ी एवं एक छाता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

संपादन- यह सामग्री जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर क्रय कर आशाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रियान्वयन- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा साड़ी/छाता उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी को निर्धारित किया जायेगा। जिसकी दर सहित सूचना सभी सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध करा दी जायेगी। सभी जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा उक्त निर्धारित एजेन्सी को चयनित आशा संख्या के आधार पर क्रयादेश निर्गत किया जायेगा। तथा साड़ी/छाता प्राप्त की जायेगी। प्राथमिक जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा ही आपूर्ति करने वाली एजेन्सी के प्रस्तुत विपत्र का भुगतान किया जायेगा। तद्नोपरान्त सभी आशा कार्यकर्त्ताओं को दो-दो साड़ी एवं एक-एक छाता संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आशा दिवस के दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – "Capacity Building /Academic Support Programme"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) – 1.19-B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) – 1.19-B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५–१० वाक्य अधिकतम) – Approx. 1000 ASHAs in the State to be enrolled into 10th grade or Bachelor's Preparatory Programme through Open Schools or IGNOU and Training for ASHA Help Desk.

इकाई राशि (रू० लाख में) – प्रति जिला स्वास्थ्य समिति २६ आशाओं हेतु २६०००/– रू० प्रतिवर्ष अर्थात् १०००/–रू० प्रति आशा प्रति वर्ष ।

वित्तीय दिशा निर्देशन –
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा**
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – 9470003017, 9470003024

1.19- Capacity Building/Academic Support Programme

परिभाषा- राज्य के आशाओं का शैक्षणिक विकास एवं उत्थान हेतु १०वीं कक्षा का शिक्षा देना।

आवश्यकता- राज्य के कुछ चुने हुये १००० आशा कार्यकर्त्ताओं को उनके शैक्षणिक विकास एवं उत्थान हेतु खुला विद्यालय/इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा BPP कार्यक्रम के तहत १०वीं कक्षा में निबंधित कराया जायेगा। इन आशा कार्यकर्त्ताओं का मात्र मुक्त विद्यालय फीस संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा वहन किया जायेगा। इन चुने हुये आशाओं के फीस हेतु संबंधित जिलो के जिला स्वास्थ्य समितियों को राशि निर्गत की जायेगी।

संपादन एवं क्रियान्वयन- इस कार्यक्रम हेतु राज्य जिलो का आशाओं का चयन संबंधित जिले की जिला स्वास्थ्य समिति प्रखंडो से आशा को चिन्हित कर चयन करेगी। प्रत्येक जिले से २६ आशा कार्यकर्त्ताओं को इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निबंधित कराया जायेगा। आशा का चिन्हित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

१. आशा अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति समुह से होनी चाहिए।

२. वैसी आशा जिन्होंने १०वीं कक्षा पास नहीं की हो एवं IGNOU (www.ignou.ac.in) BPP कार्यक्रम/www.nios.ac.in के तहत १०वीं कक्षा में निबंधित होने हेतु आवश्यक योग्यता का पालन करती हो।

३. निबंधित होने वाली अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति आशा अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र बहुलता वाले गाँव की आशा ही प्राथमिकता पर होनी चाहिए।

आशाओं का कार्यक्रम मे निबंधन एवं IGNOU से संबंधित सारे कार्य में जिला परियोजना प्रबंधक, आशा/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहयोग करेगें।

आशा हेल्प डेस्क प्रशिक्षण - राज्य के ५३३ प्रखंड स्तरीय आशा हेल्प डेस्क हेतु प्रखंड आशा प्रबंधक/स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तथा ३८ जिला स्तरीय आशा हेल्प डेस्क हेतु जिला परियोजना प्रबंधक आशा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को हेल्प डेस्क संचालन का प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रत्येक जिले के जिला कार्यकम प्रबंधक/जिला परियोजना प्रबंधक, आशा उस जिले हेतु मास्टर ट्रेनर होगा। जिले में प्रशिक्षण जिला स्वास्थ्य समिति में दिया जायेगा। उक्त अनुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी (प्रशिक्षण साम्रगी, यात्रा भत्ता इत्यादि) ५००/- रू० खर्च किया जायेगा। जिस हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों को संख्या अनुरूप राशि खर्च की जायेगी।

इस कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण सहयोग राज्य स्तर पर किया जायेगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "ASHA DIVAS"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.2-B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.2-B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (५-१० वाक्य अधिकतम) - Best performance award to ASHAs, Provision of Identity Card and TA/DA to ASHAs

इकाई राशि (रू० लाख में) - TA 75/- (One Time) रू० प्रति आशा प्रतिमाह प्रति आशा दिवस में भाग लेने हेतु जिसमें 60/- रू० TA एवं 15/- रू० नास्ता हेतु दिये जाने है इस प्रकार एक आशा को 75/- रू० की दर से प्रति आशा दिवस के दिन आशा को भुगतय होगा।
2000/- रू० प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आशा पुरस्कार हेतु प्रतिवर्ष
20/- रू० प्रति आशा पहचान-पत्र प्रति वर्ष

वित्तीय दिशा निर्देशन -
(अनुलग्नित)

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - **प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

1.2- ASHA Divas

परिभाषा- राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति माह एक बार आशा दिवस मनाया जाना है। जिसमें प्रखंड की सभी आशा कार्यकर्त्ताओं का बैठक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारीयों एवं अन्य के साथ आयोजन होता है। जिसमें स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं एवं अन्य विषय-वस्तुओं का निराकरण/विवेचना किया जाना है तथा रणनितियाँ भी तैयार की जानी है।

आवश्यकता- आशा दिवस के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभी आशाएँ एकत्रित होती है। तथा प्राभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मार्ग निर्देशन में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करती है।

संपादन- आशा दिवस का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा यात्रा भत्ता की राशि का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

क्रियान्वयन- आशा दिवस में भाग लेने हेतु प्रति आशा को ६०/-रू० TA (One Time) भुगतान किया जायेगा। एवं प्रति आशा १५/- रू० की दर से नास्ता हेतु दिया जायेगा। इस प्राकर कुल ७५/- रू० आशा को आशा दिवस के दिन भुगतय होगा।

वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रखंड में तीन आशाओं को उनके स्वास्थ्य योजना/कार्यक्रमों में विशिष्ट कायं/ सफलता प्राप्त करने के कारण चयनित किया जायेगा। जिनको जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा वर्ष के अन्त (मार्च माह) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रमाण-पत्र द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। प्रथम वरीयता प्राप्त आशा को १०००/- रू० की राशि पुरस्कार, द्वितीय वरीयता प्राप्त आशा को ५००/-रू० की राशि पुरस्कार, तृतीय वरीयता प्राप्त आशा को ३००/- रू० की राशि पुरस्कार दिया जायेगा तथा इन तीन प्रमाण-पत्रों के गुणवत्ता पूर्ण मुदण हेतु २००/- रू० निर्धारित है। उक्त अनुसार जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा राशि खर्च की जायेगी। पुस्कार के निर्धारण का मापदण्ड राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिलों को प्रेषित किया जायेगा।

राज्य के सभी आशा कार्यकर्त्ताओं को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रति आशा २०/- रू० निर्धारित है। जिस राशि का खर्च जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा। आशा पहचान-पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। आशा पहचान-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(57)

परिचय पत्र

आशा कार्यकर्त्ता का फोटो जिसका अभिप्रमाणित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा होनी चाहिए

कार्ड संख्या-....................

आशा कार्यकर्त्ता का नामः..

पिता/पति का नामः..

उम्रः .... शैक्षणिक योग्यता..

गाँवः.............................., पंचायतः..

प्रखंडः.................................... जिलाः..

कार्य क्षेत्र का नामः......................................

नियुक्ति की तिथिः......................................

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं प्रा0स्वा0केन्द्र का मुहर

आशा कार्यकर्त्ता का हस्ताक्षर

Revised FMR Code - 1.11

(122)

आशा सम्मेलन

पृष्ठभूमि:- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ से (2005 2009) लेकर अबतक लगभग 20 हजार आशा कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया है। इस क्रम में पी0 आई0 पी0 (2009 10) के अन्तर्गत आशा सम्मेलन की गतिविधि की स्वीकृति भारत सरकार ने किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिला स्तर पर आशा कार्यकर्त्ताओं को एकत्रित कर उनकी समस्याओं के अवगत होना तथा उनके समाधान की कार्ययोजना का निर्माण कर राज्य के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को सुदृढ़करना है।

उद्देश्य:-

1. आशा सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे प्रखंडो की आशा कार्यकर्त्ताओं को सहभागी चर्चा के द्वारा से सिखने का अवसर प्रदान करना।
2. सम्मेलन के क्रम में आशा अपनी समस्याओं से जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अवगत करवायेंगी जिससे आशा कार्यकर्त्ताओं की भावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु एक अवसर उपलब्ध होगा।
3. जिला के अधिकारियों को स्वास्थ्य संबंधित से मुद्दों से अवगत करवाना जिससे कि जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के निर्माण में आशा से संबंधित भूमिकाओं को भी सम्मिलित किया जाये।

सम्मेलन के क्रम में हुई चर्चाओं को संकलित कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगें कि वर्ष (2010 2011) के लिए निर्माण किये जा रहे कार्य योजना में समस्याओं के समाधान से संबंधित गतिविधियों को सम्मलित किया जाना आवश्यक है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती के लिए राज्य के 38 जिलों में कार्यरत आशाओं का एक दिवसीय सम्मेलन किया जाना है जिसमें सभी आशाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाय।यह आवश्यक है कि इस कार्यक्रम को कराने हेतु पूर्व में ही तैयारी कर ली जाय एवं प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियाँ निर्धारित कर उसका निष्पादन सुनिश्चित कर लिया जाय। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य समिति एवं सिविल सर्जन की होगी तथा प्रखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मुख्यतः इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण आयोजन के जिम्मेदार होगे।

जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से पहल कर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए रणनीति एवं रूप रेखा (With time line) तैयार कर ले एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनके कार्य संबंधी जानकारी दें। चुकि यह कार्य एक दिवसीय है और अत्यन्त बड़े स्तर पर किया जाना है इसलिए यह आवश्यक है कि एक कुशल सम्मिलित प्रयास किया जाय। जिला स्वास्थ्य समिति इस कार्य के निष्पादन में अपने स्तर से जन संगठन/समुदाय का सहयोग लेने के संबंध में निर्णय ले सकती है। कार्यक्रम रूप रेखा बनाने के उपरान्त उसका प्रतिवेदन सम्मेलन के पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये।

Revised

FMR Code- 1.11

(12)

खंड स्तर पर सम्मेलन की पूर्व तैयारी

1. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि जिस माह में आशा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया गया है उससे 15 दिनो पूर्व सभी आशा को सम्मेलन की सूचना सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। यह उचित होगा कि यदि इसी क्रम में आशा दिवस का आयोजन किया गया हो तो उसी मे उक्त तिथि की जानकारी दी जा सकती है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि जिस माह मे जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया जायेगा उस माह में प्रखंड स्तर पर आशा दिवस का आयोजित नहीं किया जायेगा एवं उस माह के लिए प्रति आशा को आशा दिवस के लिए देय राशि का उपयोग उनके यात्रा–व्यय के मद में खर्च किया जायेगा इस प्रकार इस गतिविधि मे 155/– रूपये की राशि प्रति आशा यात्रा व्यय के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। (80/ रू0 इस पत्र के द्वारा व्यय हेतु निर्धारित की गई है)
2. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की यह जवाबदेही होगी कि सभी आशा सम्मेलन में समान भाग ले इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ता के निवास स्थान से लेकर सम्मेलन स्थल तथा वापस सम्मेलन स्थल से उनके घर तक छोड़ने की जवाबदेही होगी। इसमें आवश्यक है कि समय प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक प्रबंधन के माध्यम से कार्य योजना का निर्माण किया जायें।

आशा का नाम	एकत्रित होने का स्थान	समय	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं दूरभाष संख्या	गाड़ी सं0, चालक का नाम एवं दूरभाष सं0

3. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक उपलब्ध वाहनों के अनुसार आशा की संख्या तथा एकत्रिता होने वाले स्थान का चयन किया जायेगा। तथा उस वाहन में एक आशा का चयन किया जायेगा जिनको यह जवाबदेही होगी कि सभी आशा को साथ लेकर निर्धारित स्थल तक पहुँचाये तथा वापस उनके घरो तक पहुँचाने की जवाबदेही भी उनकी होगी। दो वाहनो बड़े वाहन तथा चार छोटे वाहनों पर एक पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्त किया जाये जिनको यह जवाबदेही होगी कि संबंधित वाहन की नेत्री के साथ दूरभाष पर सम्पर्क कर उनके आवागन की सूचना प्राप्त कर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को अवगत करवाते रहें।

जिला स्तर पर कार्यक्रम की पूर्व तैयारी

जिल कार्यक्रम प्रबंधक सम्मेलन के आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर स्वयं सेवी संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर सकती हे जिसके लिए उन्हें 10000/– दस हजार रूपये की राशि उपलब्ध करवाया गया है। इन संस्थाओं का मुख्य काम होगा कि आशा सम्मेलन के पूव्र तैयारी की मॉनिटरिंग तथा इसका आयोजन सुचारू ढंग से किया जाये। इसके लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक चेक–लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें समयावधि भी उल्लेखित किया जायेगा।

FMR Code- 1.11

Revised

(20)

जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सम्मेलन हेतु स्थल का निर्धारण करलें। अगर स्थल कोई खुला मैदान हो वहाँ पंडाल, पानी की व्यवस्था, दरी, माईक, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, कुड़ादान, खाने के पैकेटस, पोटोग्राफी, विडयोंग्राफी, पोस्टर, बैनर, प्रखंडवार बैठने की व्यवस्था आयोजन हेतु वोलेटियरस की व्यवस्था कार्यक्रम के संचालक इत्यादि की व्यवस्था सिवलि सर्जन की देख–रेख में सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के संचालक का चुनाव करें जो आशा के कार्यो एवं उसके उद्देश्यों को समझे।

सम्मेलन के दौरान कार्यक्रम की तैयारी

(क) आशा का रजिस्ट्रशन।

(ख) आमंत्रित पदाधिकारियों एवंज न प्रतिनिधियों के अभीनंदन एवं स्वागत हेतु तैयारी।

(ग) कार्यक्रम के बनाये गये रूप रेखा के अनुसार कार्यक्रम का संचालन करना सुनिश्चित करें ताकि कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा किया जा सकें।

कार्यक्रम अविध/सत्र

कार्यक्रम एक दिन के लिए आयोजित किया जायेगा। जिसका संचालन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के दिसम्बर माह में किये जाने का निर्देश है।

1. 9 बजे से 10:30 बजे सुबह रजिस्ट्रेशन
2. आशाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण– प्रखंडवार चयनित दो–दो उत्कृष्ट आशों को द्वारा अपने क्षेत्र में कार्यक्रम के संचालन के बारे मे प्रस्तुतिकरण (कार्यक्रम उपलब्धि, कर्यक्रम में आई कठिनाई एवं उनका निराकरण)।
3. भोजन अवकाश।
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम आशाओं के द्वारा इस सांस्कृतिक सत्र के दौरान दो घंटे का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पर का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि के रूप में आयोजित किया जायेगा। आशा कार्यकर्त्ता का सम्मेलन के पूर्व ग्रुप बाना कर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा ।

   नुक्कड़ नाटक का आयोजनः जिला कार्यक्रम प्रबंधक आशा कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से नुक्कड नाटक का आयोजन करवाना सुनिश्चित करवायेंगे जिसमें सदर प्रखंड की आशा कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लिया जायेगा। स्थानीय स्वयं सेवी संस्था का सहयोग नुक्कड़ नाटक की तैयारी में भी ली जा सकती है, जिसका स्क्रिप्ट एवं प्रदर्शन पूर्व में ही सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

   थीम मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य बेहतरी में आशा की भूमिका

   समय 20 मिनट

   सदस्यः 10–12 आशा कार्यकर्त्ता

   समूह गानः– इसी तैयारी भी नुक्कड़ नाटक की तैयारी की तरह ही किया जायेगा जिसका थीम एवं समय निम्नालिखित प्रकार से है।

FMR Code – 1.11

Revised

पहला

1.थीम :– महिला सशक्तिकरण

2.समय:– 10 मिनट

3.सदस्य:– 8 आशा कार्य–कर्त्ता

दूसरा

1.थीम: हमहोगें कामयाब

2.समय: 10 मिनट

3.सदस्य: 8 आशा कार्य–कर्त्ता

5. कार्यक्रम के अन्त मे आशा कार्यकर्त्ता के सफलतापूर्वक कार्यो का संचलान एवं कार्यो के निष्पादन मे आई कठिनाई के संबध मे प्रदर्शित की गई तथ्यों पर अपना–अपना मन्तव्य देगें एवं आशाओं के प्रोत्साहन हेतु दो शब्द कहेंगे।

जिला स्वास्थ्य समिति अनुरोध है कि कार्यक्रम के आयोजन में यह ध्यान रखा जाय कि कार्यक्रम उपरोक्त सभी कंडिका के अनुसार आयोजीत की जाय।

आमंत्रित पदधिकारी

जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से यह निर्णय ले सकती है कि किन–किन व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में अतिथि स्वरूप आमंत्रित करना है। सुझाव स्वरूप जिला के सभी विभिन्न विभागों के आला अधिकारी, जन प्रतिनिधियो, जनसगठन/समुदाय के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मी को इस कार्यक्रम आमंत्रित कर उनकी सहभागीता सुनिश्चित करवाई जा सकती है।

नोटः– सम्मेलन का (भौतिक एवं वित्तीय) प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को एक प्रति उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है।

बजट निर्धारण

Sl. No.	District	Target of ASHA Selection	Traveling cost for ASHA @ 80/- per ASHA from collection point to district HQ and back (The unit cost may vary for ASHA to ASHA DPMU should calculate travel cost accordingly)	Snacks for ASHA @ 40/-per ASHA	Facilitation cost for local NGO@ 10000/-per NGO per District	Organizational cost (Stage decoration , hall hiring ,folk drama, and other event management cost)@ 50000 per District	Miscellaneous @8787	Total
1	Araria	2376	190080	95040	10000	50000	8787	353907
2	Arwal	773	61840	30920	10000	50000	8787	161547
3	Aurangabad	2160	172800	86400	10000	50000	8787	327987

[signature]

FMR Code - 1.11

Revised

118

	...ka	1820	145600	72800	10000	50000	8787	287187
	...gusarai	2629	210320	105160	10000	50000	8787	384267
	Bhagalpur	2311	184880	92440	10000	50000	8787	346107
	Bhojpur	2264	181120	90560	10000	50000	8787	340467
	Buxar	1493	119440	59720	10000	50000	8787	247947
9	Champaran(E)	4326	346080	173040	10000	50000	8787	587907
10.	Champaran(W)	3206	256480	128240	10000	50000	8787	453507
11	Darbhanga	3550	284000	142000	10000	50000	8787	494787
12	Gaya	3514	281120	140560	10000	50000	8787	490467
13	Gopalganj	2371	189680	94840	10000	50000	8787	353307
14	Jamui	1520	121600	60800	10000	50000	8787	251187
15	Jehanabad	871	69680	34840	10000	50000	8787	173307
16	Kaimur	1462	116960	58480	10000	50000	8787	244227
17	Katihar	2549	203920	101960	10000	50000	8787	374667
18	Khagaria	1412	112960	56480	10000	50000	8787	238227
19	Kishanganj	1368	109440	54720	10000	50000	8787	232947
20	Lakhisarai	802	64160	32080	10000	50000	8787	165027
21	Madhepura	1711	136880	68440	10000	50000	8787	274107
22	Madhubani	4046	323680	161840	10000	50000	8787	554307
23	Munger	961	76880	38440	10000	50000	8787	184107
24	Muzaffarpur	3984	318720	159360	10000	50000	8787	546867
25	Nalanda	2365	189200	94600	10000	50000	8787	352587
26	Nawada	1959	156720	78360	10000	50000	8787	303867
27	Patna	3233	258640	129320	10000	50000	8787	456747
28	Purnia	2723	217840	108920	10000	50000	8787	395547
29	Rohtas	2490	199200	99600	10000	50000	8787	367587
30	Saharsa	1622	129760	64880	10000	50000	8787	263427
31	Samastipur	3835	306800	153400	10000	50000	8787	528987
32	Saran	3459	276720	138360	10000	50000	8787	483867
33	Sheikhpura	521	41680	20840	10000	50000	8787	131307
34	Sheohar	580	46400	23200	10000	50000	8787	138387
35	Sitamarhi	2965	237200	118600	10000	50000	8787	424587
36	Siwan	3008	240640	120320	10000	50000	8787	429747
37	Supaul	1928	154240	77120	10000	50000	8787	300147
38	Vaishali	2969	237520	118760	10000	50000	8787	425067
	Total	87135	6970880	3485440	380000	1900000	333906	13070226

Revised

FMR code-"1.11" (117)

...नों के द्वारा सामुदायिक कार्यो के लिए

आशाओं को सामुदयिक कार्य के क्रियान्वयन में सफलतम रूप से किये जाने हेतु आशा डायरी, रजिस्टर एवं अन्य सहयोगी सामग्री/कार्य हेतु प्रति आशा ३००/- की दर से राशि At The State Level के उप मद Development of IEC and Monitoring Materials से आवंटित की जा रही है।

उक्त संबंध में शीघ्र ही पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी सभी जिलो को भेज दी जायेगी। जिसके उपरान्त आवंटित रशि की व्यय की जायेगी।

...जट विवरणी

Sl. No.	District	Target of ASHA Selection	Rs.300/- Per ASHA for Developing ASHA Activity Diary, ASHA Register, IEC Material and Other Community Related Work)
1	Araria	2376	712800
2	Arwal	773	231600
3	Aurangabad	2160	648000
4	Banka	1820	546000
5	Begusarai	2629	788700
6	Bhagalpur	2311	693300
7	Bhojpur	2264	679200
8	Buxar	1493	447900
9	Champaran(E)	4326	1297800
10	Champaran(W)	3206	961800
11	Darbhanga	3550	1065000
12	Gaya	3514	1054200
13	Gopalganj	2371	711300
14	Jamui	1520	456000
15	Jehanabad	871	261300
16	Kaimur	1462	438600
17	Katihar	2549	764700
18	Khagaria	1412	423600
19	Kishanganj	1368	410400
20	Lakhisarai	802	240600
21	Madhepura	1711	513300
22	Madhubani	4046	1213800

FMR code-1.11

Revised

116

23	Munger	961		288300
24	Muzaffarpur	3984		1195200
25	Nalanda	2365		709500
26	Nawada	1959		587700
27	Patna	3233		969900
28	Purnia	2723		816900
29	Rohtas	2490		747000
30	Saharsa	1622		486600
31	Samastipur	3835		1150500
32	Saran	3459		1037700
33	Sheikhpura	521		156300
34	Sheohar	580		174000
35	Sitamarhi	2965		889500
36	Siwan	3008		902400
37	Supaul	1928		578400
38	Vaishali	2969		890700
	Total	**87135**		**26140500**

Revised

.14- ASHA Support System at Village Level

FMR Code-"1.14"

Revised Guidelines

...दाय आधारित योजना एवं अनुश्रवण (Community Based Planning and Monitoring)–

...धारणा– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाऐं जो गरीबों ...वं अन्य पिछड़े वर्गों के आवश्यकता अनुसार हो, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के गुणात्मक प्रबंधन हेतु सामुदायिक स्वामित्व (Community Ownership) एवं भागीदारी (Community Participants) बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसके लिए सामुदाय द्वारा स्वास्थ्य संबंधित योजना का निर्माण एवं अनुश्रवण एक महत्वपूर्ण घटक है।

सामुदायिक नियोजन एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया का तात्पर्य है, समुदाय व उसके प्रतिनिधियों को प्रेरित करना, उनकी क्षमता निर्माण एवं उसका विकास करना, जिससे वह न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी प्रतिकिया दे सके। बल्कि साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सामुदायिक स्तर पर निर्माण कर सकें। इस प्रकार आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य सेवाओ का ग्रामीण योजना एवं मूल्याकंन इसका मूल सिद्धांत है। इस तरह सामुदाय योजना एवं अनुश्रवण का एक केन्द्र बिन्दु है।

आवश्यकता– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाऐं जन–जन तक पहुँचे और खासकर गॉव में रहने वाले लोग, महिलायें व बच्चों को भी स्वास्थ्य सेवाऐं आसानी से उपलब्ध हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एक सुदृढ़ जवाबदेही ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है "समुदाय द्वारा योजना एवं निगरानी"। इस ढांचे को बनाऐं रखने की एक मुख्य रणनीती हैं ।

सामुदायिक योजना एवं निगरानी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदाय की सक्रियता बढ़ायेगी । मिशन में विभिन्न स्तरों पर जैसे की ग्राम, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर निगरानी एवं योजना समितियाँ स्थापित करने का प्रावधान है। इस तरह से मिशन के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर समुदाय आधारित निगरानी और नियोजन के लिए एक व्यापक ढ़ाँचे को स्वीकारा गया है। इसमें पहली बार समुदाय को आकलन प्रक्रिया के केन्द्र में रखा गया है ताकि समुदाय स्वयं ही निर्धारित कर सकें कि उसकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ क्या है और स्वास्थ्य के अधिकार पूरे हो रहे है या नहीं और उसे पूरा करने में वे भी सहभागी है।

समुदाय आधारित योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का उद्देश्य–

- समुदाय की आवश्यकताओं की जानकारी नियमित तरीके से उपलब्ध कराना ताकि योजना बनाने की प्रक्रिया को सही दिशा मिल सकें।
- स्थानीय मापदण्डों (Local Yardstick)के अनुरूप एवं प्रमुख सूचकांक (Key Indicators) के आधार पर समुदाय एवं स्वास्थ्य तंत्रों का प्रतिपुष्टि (Feedback) देना एवं कमियों को चिन्हित कर तदनुसार सही प्रक्रिया अपना कर उनका निराकरण करना।
- समुदाय एवं सामुदायिक आधारित संस्था का स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण में बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- समुदाय लोक स्वास्थ्य तंत्र में एक सक्रिय भूमिका निभाऐं।
- स्वास्थ्य कर्मियों के आँकड़ों को मान्य(Validate) करना एवं उसके अनुरूप कार्य करना।

इस कार्यक्रम को राज्य के तीन जिले यथा जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण एवं भागलपुर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। जिसके उन्मुखीकरण के लिए पत्र के माध्यम से चयनित जिलो को सूचित किया जायेगा।

Revised

FMR code – "1.14"

(114)

1.14- ASHA Support System at Village Level

Block ASHA facilitator के निर्धारण की प्रकिया (38 जिलों के लिए)–

परिभाषा– प्रत्येक प्रखंड स्तर पर आशा के द्वारा उनके क्षेत्र के समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं के मुल्याकंन एवं जरूरतों की समीक्षा की जानी है।

दायित्व – प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 20 आशा कार्यकर्त्ता के लिए एक आशा फेसिलिटेटर का चयन किया जायेगा जो उनको Supportive Supervision एवं Village Health planning and Monitoring Committee के साथ जुड़ कर कार्य करेगी।

प्रखंड आशा फेसिलीटेटर का निर्धारण– प्रत्येक प्रखंड के कार्यरत आशाओं का 21–21 का ग्रुप बनाया जायेगा। जिसमें एक आशा को Facilitator के रूप में चयनित किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया– प्रखंड आशा प्रबंधक (Block level organizer ASHA)/Block Health Manager एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने प्रखंड के आशाओं का 21–21 का ग्रुप बनायेगे। अगर अंतिम ग्रुप 21–21 से कम हुआ तो उसे एक ग्रुप माना जायेगा। हरेक ग्रुप के लिए एक Facilitator का चयन किया जायेगा। जो 20 आशाओं का Supervision देंगी एवं अपने क्षेत्र के Village Health Planning and Monitoring Committee के साथ जुड़ कर कार्य करेगीं। 21 आशाओं के ग्रुप में जिनकी शैक्षणिक योग्यता सर्वाधिक होगी। जिसके तहत् आठवीं, दसवीं, इंटर, स्नातक, स्नात्तोकतर एवं पी0एच0डी0 के येाग्यता के आधार ही मान्य होगी। यदि एक योग्यता के एक से ज्यादा आशा हो तो आशा के फेसिलिटेटर के चयन हेतु 21 आशाऐं मिलकर जिनका नाम प्रस्तावित करेगी वही उस 20 आशा के लिए Facilitator का कार्य करेगी। प्रस्तावित करने की प्रकिया में प्रखंड आशा प्रबंधक (Block level organizer ASHA)/Block Health Manager एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आशा दिवस के दिन उस प्रखंड के सभी आशा की बैठक आयोजित करेगें और कहेगें कि जिनका नाम के चयन का प्रस्ताव रखना चाहती है उनका नाम लिख कर एक पर्चे में दे–दे । ध्यान रखना होगा कि कोई आशा उस पर्चे में अपना नाम नहीं लिखे। इस प्रकार जिसका नाम सर्वाधिक आशा ने दिया है उसे नामित किया जाय। तत्पश्चात उपर्युक्त प्रकिया के तहत ही प्रखंड स्तरीय आशा फेसिलिटेटर का चयन किया जायेगा। सभी प्रकिया के सपन्न करने के जवाबदेही उक्त नोडल पदाधिकरियों (प्रखंड आशा प्रबंधक (Block level organizer ASHA)/Block Health Manager एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी) की होगी।

वित्तीय दिशा–निर्देश– Block ASHA Facilitator के निर्धारण के लिए कोई राशि की आवश्यकता नहीं है।

Reference Section/Letter –

1. **"1.14 ASHA Support System at Village Level" Guideline sent to the district earlier (ASHA Cell)**

Revised FMR Code- 1.14

113

सिलिटेटर इस प्रपत्र को अपने निर्धारित समुह में आशा दिवस के दिन भरेंगीं।

का नाम :

ठक की तिथि :

उपस्थित सदस्यों की सूची (संलग्न) :

समस्या

- -
- -
- -
- -

स्थानीय स्तर पर सामाधान

- -
- -
- -
- -

प्रखंड के स्तर पर सामाधान

- -
- -
- -
- -

जिला के स्तर पर सामाधान

- -
- -
- -
- -

आशा फैसिलेटेटर का हस्ताक्षर

Revised

1.15

FMR code- 1.15

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम - "ASHA TRAINING - MODULE I"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक १ के आधार पर) - 1.15-B

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर) - 1.15-B

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (१-१० वाक्य अधिकतम) - 1st Module Training to untrained ASHAs

इकाई राशि -

Fund to be allotted (ASHA Training for Module 1) to untrained ASHA		
TA (Including Fooding) and DA = Per ASHA x 7days x Rs.200 per day	Honorarium @ Rs.100/- per trainer(Total of 4 trainers per batch and 4 session in a day)	Training Material @ Rs.300 per participant

वित्तीय दिशा निर्देशन -
मॉड्यूल १ के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देश के आधार पर ही वित्तीय एवं प्रशिक्षण कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा।

नोटः- आशा मॉड्यूल १ के प्रशिक्षण हेतु ४० आशा का बैच निर्धारित है तथा बैच निर्धारण के पश्चात् शेष बची हुई आशाओं में अगर १० या १० से कम शेष बचती हैं तो अलग से कोई नयी बैच न बना कर निर्धारित किये गये बैच में ही बची हुई आशा को सम्मिलित किया गया है। १० से अधिक शेष बची आशा हेतु एक अलग से बैच बनाई गई है। जिसमें अनुपस्थित आशा को भी शामिल किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - ~~प्रणव कुमार, परियोजना प्रबंधक, आशा एवं~~ नेहा ऐश्वर्या, उप परियोजना प्रबंधक, आशा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर - 9470003017, 9470003024

(28)

Neha 1.8.09

Sl. No.	District	Revised Target of ASHA Selection	ASHA Selection till Now	No. of ASHA Trained With Module 1	Remaining ASHA To be trained with Module 1	Total No. of Batches(40 ASHA per Batch)	ASHA covered (40 per batch)	Remaining ASHAs	Total No. of Batches	Module 1) TA (Including Fooding) and DA = Per ASHA x 7days x Rs.200 per day	Honorarium @ Rs.100/- per trainer(Total of 4 trainers per batch and 4 session in a day)	Training Material @ Rs.300 per participant	Total
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	Araria	2376	2026	2026	350	8.75	320	30	9	490000	25200	105000	620200
2	Arwal	773	645	645	128	3.20	120	8	3	179200	8400	38400	226000
3	Aurangabad	2160	1850	1620	540	13.50	520	20	14	756000	39200	162000	957200
4	Banka	1820	1532	1471	349	8.73	320	29	9	488600	25200	104700	618500
5	Begusarai	2629	2091	2091	538	13.45	520	18	14	753200	39200	161400	953800
6	Bhagalpur	2311	1971	1971	340	8.50	320	20	9	476000	25200	102000	603200
7	Bhojpur	2264	1728	1704	560	14.00	560	0	14	784000	39200	168000	991200
8	Buxar	1493	1102	974	519	12.98	480	39	13	726600	36400	155700	918700
9	Champaran(E)	4326	3392	2686	1640	41.00	1640	0	41	2296000	114800	492000	2902800
10	Champaran(W)	3206	2653	2445	761	19.03	760	1	19	1065400	53200	228300	1346900
11	Darbhanga	3550	2368	2250	1300	32.50	1280	20	33	1820000	92400	390000	2302400
12	Gaya	3514	2839	2244	1270	31.75	1240	30	32	1778000	89600	381000	2248600
13	Gopalganj	2371	2015	1988	383	9.58	360	23	10	536200	28000	114900	679100
14	Jamui	1520	1263	1263	257	6.43	240	17	7	359800	19600	77100	456500
15	Jehanabad	871	769	769	102	2.55	80	22	3	142800	8400	30600	181800
16	Kaimur	1462	1247	1247	215	5.38	200	15	6	301000	16800	64500	382300
17	Katihar	2549	1824	1626	923	23.08	920	3	23	1292200	64400	276900	1633500
18	Khagaria	1412	1049	857	555	13.88	520	35	14	777000	39200	166500	982700
19	Kishanganj	1368	1132	1094	274	6.85	240	34	7	383600	19600	82200	485400
20	Lakhisarai	802	581	557	245	6.13	240	5	6	343000	16800	73500	433300
21	Madhepura	1711	1409	1291	420	10.50	400	20	11	588000	30800	126000	744800
22	Madhubani	4046	3034	2751	1295	32.38	1280	15	33	1813000	92400	388500	2293900
23	Munger	961	839	810	151	3.78	120	31	4	211400	11200	45300	267900
24	Muzaffarpur	3984	3219	2980	1004	25.10	1000	4	25	1405600	70000	301200	1776800
25	Nalanda	2365	1990	1850	515	12.88	480	35	13	721000	36400	154500	911900
26	Nawada	1959	1536	1271	688	17.20	680	8	17	963200	47600	206400	1217200
27	Patna	3233	2636	2193	1040	26.00	1040	0	26	1456000	72800	312000	1840800
28	Purnia	2723	2113	2000	723	18.08	720	3	18	1012200	50400	216900	1279500
29	Rohtas	2490	1950	1935	555	13.88	520	35	14	777000	39200	166500	982700
30	Saharsa	1622	667	646	976	24.40	960	16	25	1366400	70000	292800	1729200
31	Samastipur	3835	3143	3004	831	20.78	800	31	21	1163400	58800	249300	1471500
32	Saran	3459	2749	2555	904	22.60	880	24	23	1265600	64400	271200	1601200
33	Sheikhpura	521	453	453	68	1.70	40	28	2	95200	5600	20400	121200
34	Sheohar	580	473	380	200	5.00	200	0	5	280000	14000	60000	354000
35	Sitamarhi	2965	2203	1778	1187	29.68	1160	27	30	1661800	84000	356100	2101900
36	Siwan	3008	2538	2327	681	17.03	680	1	17	953400	47600	204300	1205300
37	Supaul	1928	1563	1529	399	9.98	360	39	10	558600	28000	119700	706300
38	Vaishali	2969	2532	2521	448	11.20	440	8	11	627200	30800	134400	792400
	Total	87135	69124	63802	23333	583.33	23320	13	591.00	32667600	1654800	7000200	41322600

नोट:– आशा मॉड्यूल 1 के प्रशिक्षण हेतु 40 आशा की बैच निर्धारित किया जायेगा तथा बैच निर्धारण के पश्चात् शेष बची हुई आशा में अगर 10 या 10 से कम आशा शेष बचती है तो अलग से कोई नयी बैच न बना कर निर्धारित किये गये बैच में ही बची हुई आशा को सम्मिलित किया जाना एवं 10 से अधिक बैच के लिए एक अलग से बैच बनाई गई है जिसमें अनुपस्थित आशा को भी शामिल किया जा सकता है।

Revised

195

FMR Code- 1.16 - ASHA Drug Kit and Replenishment

परिभाषा – सामुदायिक स्तर पर आशा के माध्यम से आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत की गई है, जिसे समुदाय को मुफ्त में दिया जाना है। इन दवाईयों का उपयोग प्राथमिक चिकित्सा के लिए किया जायगा। दवाइयों के देने की प्रक्रिया पर आशा को एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा आशा दिवस के दिन प्रदान किया जायगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी आशा के पास कम-से-कम एक महीने की दवा का स्टॉक उपलब्ध हो। यह भी आवश्यक है अलग-अलग क्षेत्र के आशा को महीने के अन्दर ही पुनः दवा प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

Action Person– Block Health Manager

आवश्यकता– आशा विभिन्न दवाइयों के डिपों होल्डर का कार्य करेंगी। इसमें विभिन्न जरूरतों के लिए दी जाने वाली चीजें जैसे, ओ.आर.एस. घोल, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां, क्लोरोक्वीन, अन्य गोलियां और कंडोम आदि शामिल हैं। आशा इन दवाईयों को सामुदाय में उपलब्ध कराने हेतु डिपों होल्डर का कार्य करेगी ताकि इसे माता और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार एवं देखभाल हो सके। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार निम्नलिखित सामग्रियाँ रखी जानी हैं । प्रारंभ में यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रत्येक आशा को कम-से-कम तीन महीने के दवा की आपूर्ति की जाय। महीने के अन्तराल के बाद प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगें कि जिन दवाओं की खपत हो चुकी है उन दवाओं की आपूर्ति आशा दिवस के दिन प्रत्येक आशा को सुनिश्चित कर दें ताकि हर हाल में प्रत्येक आशा को तीन महीने का Supply सुनिश्चित हो सके। दवाओं के आवश्यकता का निर्धारण समुदाय आधारित होगा अर्थात् किसी समुदाय में डायरिया की समस्या होगी तो उस आशा को ओ०आर०एस० की पैकेट उसी के अनुसार दिया जाना है जिसका विस्तृत दिशा-निर्देश इस दिशा-निर्देश के बिन्दु '1.1 एवं 1.2' पर उल्लेखित है।

Action Person – MOIC/BHM

क्र०सं०	दवा का नाम	एक आशा किट में दवा की मात्रा*
1	Disposable Delivery Kit	20
2	Tab. Iron Folic Acid (Large)	1000
3	Tab. Punarvadu/ Punarnvadi Mandur (ISM. Preparation of Iron)	1000
4	ORS Packets	100
5	Tab. Paracetamole	100
6	Tab. Dicycomine	50
7	Povidine Ointment Tube	2
8	Thermometer	2
9	Cotton Absorbent Roll (lb)	1
10	Bandages, 4cm x 4 meters	10
11	Tab. Chloroquine*[1]	50
12	Condoms*[1]	500
13	Oral Pills (in cycles) *[1]	300

* भारत सरकार के मार्ग दर्शिका के अनुसार

*[1] From existing stocks at S/C, PHC under Malaria Control and Family Welfare Programme.

दवाईयों एवं समाग्री की उपलब्धता :– सिविल सर्जन की यह जवाबदेही होगी की उपर्युक्त सभी दवाईयो एवं समाग्रियों की खरीद राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दर एवं एजेंसी के द्वारा खरीदी जाय एवं सभी आशा को उपलब्ध करवाया जाय। इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है :–

(1) क्रमांक–8, 9 एवं 10 एजेन्सी एवं रेट निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(2) अतः क्रमांक– 9 और 10 की रेट एवं एजेन्सी तय होने तक इसकी खरीद जिला अपने स्तर से कर आशा को इसकी आपूर्ति करना सुनिश्चित करें ताकि कार्य का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। (जिसकी अधिकतम मूल्य 45/–रू0 एवं 15/– रू0 होगें किंतु वास्तविक मूल्य ही अनुमान्य होगा।)

(3) क्रमांक 1 के लिए एम०एम०आर० कोड B 5.1 से क्रय कर डी०डी० के किट आशा को उपलब्ध करायें।

(4) शेष क्रमांक हेतु एजेन्सी एवं रेट निर्धारण संलग्न कर भेजी जा रही है। जिसे जिले स्तर पर क्रय किया जाना है।

1.1 दवा एवं समाग्रियों का भंडारण एवं रिर्कोड का संधारण

आशा ड्रग किट में उपलब्ध दवाईयों का भंडारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाना सुनिश्चित करेगें। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक की यह जवाब देही होगी की प्रत्येक माह के 10 तारीख को आशा ड्रग किट के भंडारण की स्थिति ई–मेल के माध्यम से जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भेजेंगें, तथा कोई भी दवा आशा दिवस के एक सप्ताह पहले तक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नही है तो उसे तत्काल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से सिविल सर्जन को सुचित करेगें।

1.2 रिकोर्ड का संधारण

जिले एवं प्रखंड स्तर पर आशा ड्रग किट की सभी दवाईयों एवं समाग्रियों के भंडारण एवं वितरण की अद्यतन स्थिति का संधारण अतिआवश्यक है, जिसका संधारण एक अलग Drug Stock Register में जिला एवं प्रखंड स्तर पर किया जायेगा। जिसकी जवाब देही संबंधित भंडारपाल की होगी।

– उक्त प्रपत्र के अनुसार दवाईयों का रिकार्ड एवं आशा के दिए गए दवाईयों की विवरणी संधारित करने की जिम्मेदारी CS एवं MOIC की होगी।

– दवाईयों की वितरण उक्त तालिका में दी गई दवाईयों की मात्रा के अनुसार आशा को दिया जाना है। दवाईयों की रिफिलिंग **समुदाय के जरूरतों के आधार पर की जानी MOIC सुनिश्चित करेंगे।** जो दवाईयाँ Expire हो गई है, उसे MOIC उक्त प्रपत्र में निम्नांकित कर उसे हटा देंगे।

दवाईयाँ समुदाय में वितरण हो रही है एवं समुदाय में सही तरीके से इस्तेमाल/उपयोग हो रहा है, इसकी पर्यवेक्षण MOIC/BHM, न्यूनतम पाँच आशा के कार्यक्षेत्र में भ्रमण कर देखेगें एवं उसका प्रतिवेदन उक्त रजिस्टर में महावारी अंकित करेगें।

1.3 आशाओं को प्रशिक्षण:

आशा को समुदाय तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, समुदायें में छोटे–मोटे बिमारियों की जानकारी देने, दवाईयों की मात्रा, इस्तेमाल आदि का प्रशिक्षण MOIC द्वारा दिया जाना है। इस

कार्य के लिए आशा दिवस का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए ''आशा बुकलेट'' जो आशाओं को दिया जाना है को संदर्भित किया जाय।

1.4 आशा ड्रग किट के भंडारण के प्रतिवेदनों का आशा के स्तर पर संधारणः–

आशा अपने स्तर पर प्राप्त दवाओं के भंडारण के प्रतिवेदनों का संधारण एक पास–बुक जैसे अभिलेख में करेंगी जिसमें संलग्न प्रपत्र का उपयोग किया जायेगा। इस पास–बुक में उन सभी व्यक्तियों के नाम एवं पता का उल्लेख किया जायेगा जिन्हें आशा के द्वारा दवाईयाँ दी गई है साथ ही उसी पास–बुक में प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर अथवा बाएँ हाथ के अँगूठे का निशान लगाना आवश्यक है जिससे आशा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पुनः दवा प्राप्त करने के लिए अनावश्यक विलम्ब नहीं हो सके। पास–बुक का मुद्रण आशा के FMR कोड सं0– B1.11 के जिला स्तर पर किया जाये जिसे आशा दिवस के दिन प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् सभी आशा को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

आशा ड्रग किट स्टॉक कार्ड

आशा का नाम :..............................

गाँव का नाम :..............................

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम :..............................

जिला का नाम :..............................

दवा प्राप्ति महीना का नाम एवं तारीख :..............................

क्र0 सं0	दवा का नाम	दवा चिन्ह	(1)				(2)			
			उपलब्धता (Balance)	व्यक्तियों का नाम जिन्हें दवाईयाँ दी गई है और मात्रा।	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर	पुनः प्राप्त दवा (Refilling)	उपलब्धता (Balance)	व्यक्तियों का नाम जिन्हें दवाईयाँ दी गई है और मात्रा।	प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर	पुनः प्राप्त दवा (Refilling)

नोटः– यह कार्ड दवा संबंधित सूचना रिकोर्ड हेतु आशा के पास रहेगी।

1.17- Emergency Services of ASHA

परिभाषा- राज्य के उत्तरी क्षेत्र के जिलों में बाढ़ से होने वाले हानि तथा फैलने वाले बीमारियों एवं उसके बचाव अर्थात् स्वास्थ्य प्रबंधन में आशाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आशाओं का प्रशिक्षण किया जाना है।

उद्देश्य- सामुदाय में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में आशा की उपस्थिति विगत चार वर्षो में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कारण स्थापित हो चुकी है। विशेषकर यह देखा गया है कि बाढ़ के समय चुकि भूगोलिक दृष्टिकोण के कारण सभी प्रकार की सम्पर्क व्यवस्था टूट जाती है, जिसके कारण संसाधनों के उपलब्धता होने बाद भी उसका सम्मुचित उपयोग नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को आपदा के समय सामुदाय के स्तर तक सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सामुदाय के स्तर तक सुनिश्चित की जाय यदि आशा को आपदा प्रबंधन विशेषकर बाढ़ प्रबधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो यह कार्य सहजता से कार्यान्वित किया जा सकता है।

अतः यह आवश्यक है कि आशा को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाय। जिसका क्रियान्वयन निम्नलिखित है।

क्रियान्वयन- राज्य के बाढ़ प्रभावित २२ जिलें (सूची संलग्न) में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसके के उपरान्त वे आशओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण देगें। जिसके लिए आशओं को १००/ रू० प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दी जायेगी।

नोटः- प्रशिक्षण के संबंध में पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन जिलों को भेज दी जायेगी।

संपादन- प्रशिक्षण मॉड्यूल की रूप रेखा राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी एवं संबंधित जिले के सिविल सर्जन प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित करायेगें तथा आशाओं की प्रतिनियुक्ति करेगें।

बजट विवरणी

क्रम	जिला का नाम	लक्षित आशा की संख्या	प्रत्येक चयनित आशा को एक दिन प्रशिक्षण हेतु 100/— देय	कुल देय राशि
1	अररिया	2376	237600	**387600**
2	बेगुसराय	2629	262900	262900
3	भागलपुर	2311	231100	231100

4	पूर्वी चम्पारण	4326	432600	432600
5	पश्चिम चम्पारण	3206	320600	320600
6	दरभंगा	3550	355000	355000
7	गोपालगंज	2371	237100	237100
8	कटिहार	2549	254900	254900
9	खगड़िया	1412	141200	141200
10	मधेपुरा	1711	171100	**251100**
11	मधुबनी	4046	404600	404600
12	मुजफ्फरपुर	3984	398400	398400
13	नालन्दा	2365	236500	236500
14	पटना	3233	323300	323300
15	पूर्णियाँ	2723	272300	272300
16	सहरसा	1622	162200	**252800**
17	समस्तीपुर	3835	383500	383500
18	शिवहर	580	58000	58000
19	सीतामढ़ी	2965	296500	296500
20	सीवान	3008	300800	300800
21	सुपौल	1928	192800	**267800**
22	वैशाली	2969	296900	296900
	कुल	**59698**	**5969900**	**6365500**

नोटः-अररिया, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलो को वित्तीय वर्ष २००८-०९ में बाढ़ के समय आशा की प्रतिनियुक्ति के विरूद्ध दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार क्रमशः १५००००/-, ८००००/-, ७०६००/- एवं १५०००/- राशि इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की जा रही है। उक्त चार जिलो को निर्देशित है कि बाढ़ में प्रतिनियुक्त की गई आशा को दी जाने वाली राशि का आशाओं में वितरित कर प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति,बिहार को पत्र के माध्यम से अचूक रूप से भेजेंगे।